FAQ regarding E-GRAS

Question: E-GRAS (Government Receipt Accounting System) क्या है और login page कहां available होगा **?**

Answer: हरियाणा सरकार की निर्देशानुसार राज्य में E-GRAS (Government Receipt Accounting System) शुरू हो चुका है। जिसके अनुसार जिस व्यक्ति/कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा कोई भी government receipt सरकार के खाते में जमा करवानी है वह www.hrtreasuries.gov.in under "E-Challan (E-GRAS)" OR www.egrashry.nic.in पर जाकर challan से सम्बन्धित विवरण enter करके challan की प्रति की रिर्पोट print out करेगा। अतः किसी भी व्यक्ति/कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा manual challan खजाना कार्यालय/बैंक में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त E-GRAS system द्वारा जारी किया गया चालान पर सम्बन्धित खजाना अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता भी नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति/कार्यालय प्रतिनिधि को खजाना कार्यालय / उप–खजाना कार्यालय में challan verification के लिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा सीधे बैंक में ही challan की print out copy प्रस्तुत करके सरकार के खाते में government receipt जमा करवा सकेगें।

Question: E-GRAS हरियाणा राज्य में कब से शुरू किया गया है **?**

Answer: हरियाणा सरकार में E-GRAS दिनांक 12–12–2013 से शुरू किया गया है। जिसके अनुसार जमाकर्ता Cash / Cheque / DD द्वारा पैसे जमा करवाने के लिये चालान बना सकता है और इसके लिये उसे खजाना कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। Internet banking से online payment की सुविधा भी जल्दी ही उपलब्ध करवा दी जायेगी।

Question: E-GRAS की विशेषता क्या है **?**

Answer: E-GRAS की निम्नलिखित विशेषतायें हैः–

1. जमाकर्ता द्वारा हरियाणा राज्य की जिस scheme में government receipt जमा करवाई जानी है वह proper / correct scheme में जमा होगी।
2. जमाकर्ता online banking के द्वारा घर बैठे ही government receipt जमा करवा सकेगा।
3. यदि जमाकर्ता online banking use नहीं कर सकता है तो वह manual option use करके preprinted electronic challan generate कर सकता है और selected bank में cash / cheque / DD द्वारा government receipt जमा करवा सकता है।
4. जमाकर्ता को चालान वैरीफाई करवाने के लिये खजाना कार्यालय नहीं जाना होगा।
5. जमाकर्ता के पास government receipt जमा करवाने के लिये एक से अधिक बैंकों की option होगी। जमाकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार bank select कर सकता है।
6. सम्बन्धित विभाग व खजाना कार्यालय के पास government receipt से related MIS reports available होगी।

Question: E-GRAS में चालान generate करने के लिये कितने प्रकार के User होगें **?**

Answer: E-GRAS system में चालान generate करने के लिये तीन प्रकार के User होगें। जोकि निम्न प्रकार से है :–

1. **DDO User :-** इसमें विभाग का DDO (Checker) अपना user name, password use करके हरियाणा सरकार के खाते में राशि जमा करवाने हेतू चालान generate करेगा। यह यूजर केवल हरियाणा सरकार के विभागों के लिये है।
2. **Registered User :-** ये वो यूजर होगें जिन्हें regular हरियाणा सरकार के खाते में चालान के द्वारा राशि जमा करवानी होती है। उदाहरण के लिये कोई फर्म जिनको regularly particular scheme में commericial tax इत्यादि जमा करवाना होता है। ये यूजर अपने लिये एक user name register करेगें।
3. **Guest User :-** ये वो यूजर होगें जिन्हें कभी–कभार हरियाणा सरकार के खाते में चालान के द्वारा राशि जमा करवानी होती है। उदाहरण के लिये किसी आवेदक द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा advt. की गई नौकरियों के चालान बनाना इत्यादि। इसके लिये यूजर का User Name = guest & Password = guest होगा। उपरोक्त अनुसार कोई भी login करने पर हरियाणा सरकार से सम्बन्धित चालान generate कर सकता है। कभी कभार जमाकर्ता के लिये भी अपना यूजर रजिस्टर्ड करने बारे कोई मनाही/बंदिश नहीं है।

Question: Registered User यदि अपना पासवर्ड भूल जाये तो वह अपना पासवर्ड कैसे reset करेगा **?**

Answer: यदि registered user अपना पासवर्ड भूल जाये तो यूजर login page पर forget password link पर क्लिक करके अपनी registered user ID का पासवर्ड reset कर सकता है।

इसके लिये यूजर को अपनी User ID register करते समय दिये गये security question का सही जवाब देना होगा। तभी यूजर अपनी User ID का पासवर्ड reset कर पायेगा।

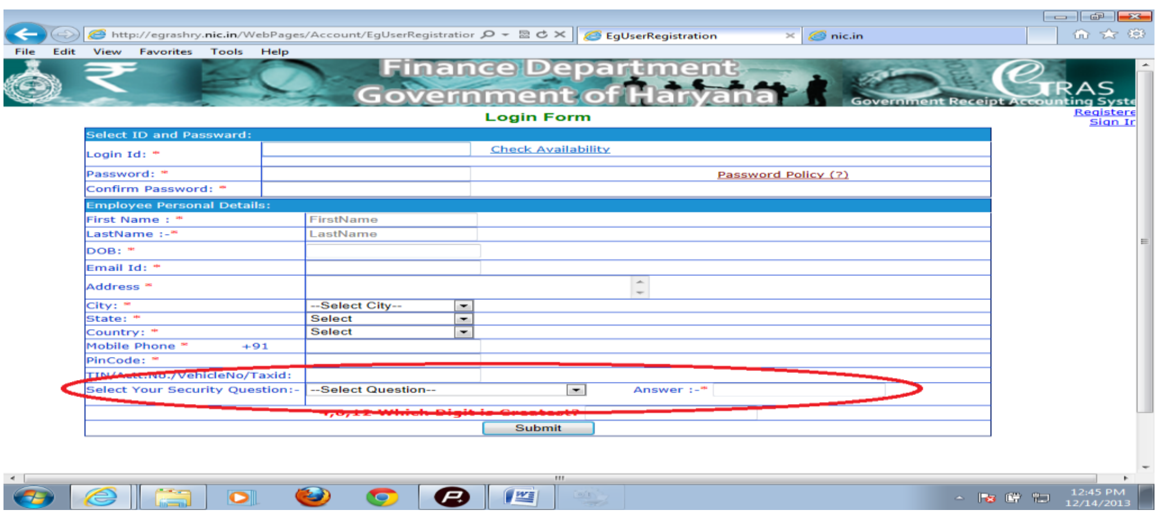

Question: E-GRAS में चालान generate करते समय यदि यूजर को यह नही ज्ञात कि उसे किस Major Head, scheme में government receipt जमा करवानी है तो क्या करें **?**

Answer: इसके लिये यूजर के पास दो options हैः–

(1) यूजर E-GRAS में login करके Payee Profile page पर "Select Category" पर क्लिक करेगा। इसमें से relevant type of payment select करेगा। उदाहरण के लिये यूजर को Non Judicial Stamp Paper के लिये पैसे जमा करवाने के लिये select category कॉलम में Non Judicial Stamp Paper पर क्लिक करेगा। इसके बाद select purpose of payment कॉलम पर क्लिक करके relevant purpose स्लैक्ट करेगा। इसके बाद submit button click करेगा। जिससे यूजर को correct scheme अपने आप दिखाई देने लगेगी।

(2) यदि उपरोक्त वर्णित option से यूजर को मदद ना मिले तो इसी पेज पर बैक बटन पर क्लिक करे और विभाग को नाम स्लैक्ट करें और उससे सम्बन्धित मेजर हैड और स्लैक्टिड मेजर हैड से सम्बन्धित स्कीम स्लैक्ट करें। यदि इसकी भी जानकारी ना हो तो यूजर को जिस विभाग की government receipt जमा करवानी है उस विभाग से सम्बन्धित किसी भी जिला स्तर/ब्लॉक स्तर कार्यालय पर सम्पर्क करके या जिला खजाना कार्यालय / उप–खजाना कार्यालय में भी सम्पर्क करके यूजर Major Head, Scheme के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिसमें यूजर ने government receipt जमा करवानी है।

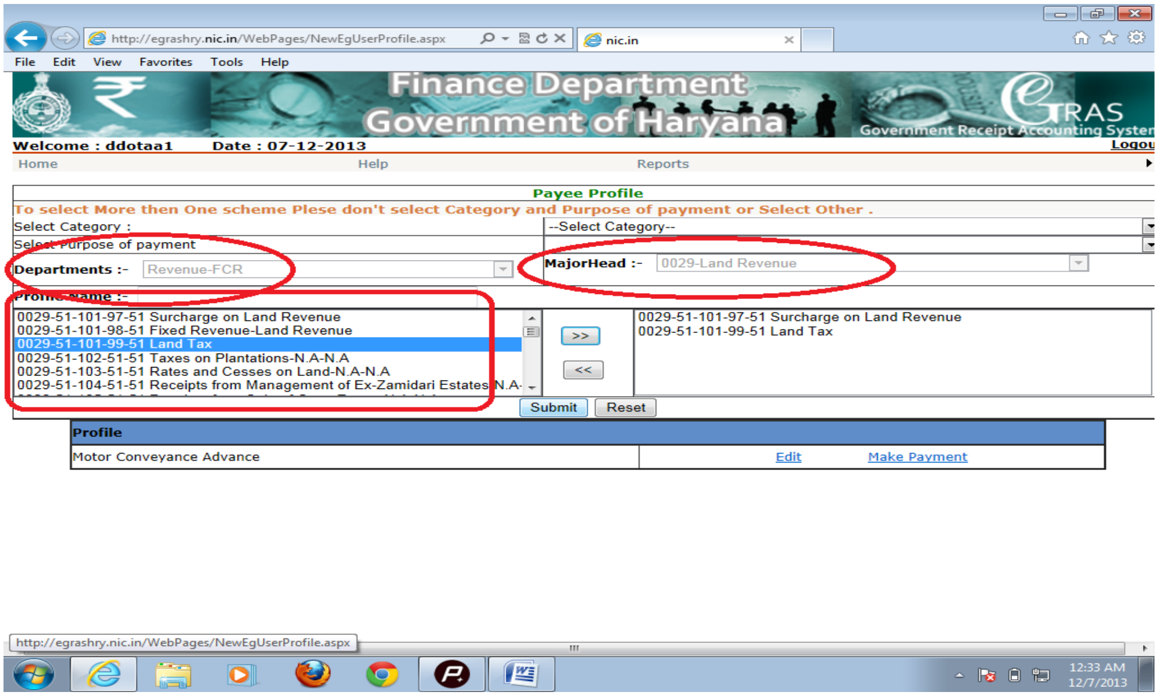

उदाहरण के लिये यदि यूजर को कोई Land Tax जमा करवाना चाहता है और उसे मेजर हैड, स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है तो यूजर विभाग से सम्बन्धित जिला स्तर/ब्लॉक स्तर के कार्यालय जैसे कि Distt Revenue Office (DRO) से सम्बन्धित मेजर हैड, स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

Question: यदि यूजर को challan entry page पर Treasury Name के drop down box में किसी Treasury / Sub-Treasury का नाम show नहीं हो रहा है तो यूजर इसका अभिप्राय क्या समझे **?**

Answer: यदि यूजर को challan entry page पर Treasury Name के drop down box में किसी Treasury / Sub-Treasury का नाम show नहीं हो रहा है तो इसका अभिप्राय यह है कि यूजर जिस विभाग की government receipt जमा करवाना चाहता है उस विभाग का कार्यालय या डी.डी.ओ. उस जिला या तहसील में नहीं है। Dropdown Box में केवल उस विभाग के यूजर द्वारा selected district

से सम्बन्धित जितने भी कार्यालय या फिर Drawing Disbursing Officer (DDO) है उसी के अनुसार यूजर को Treasury / Sub-Treasury का नाम show होगा।

Question: क्या यूजर को government receipt सम्बन्धित treasury bank branch में ही जमा करवानी है **?**

Answer: E-GRAS द्वारा generate challan में यूजर के पास option है कि वह किस बैंक में government receipt जमा करवाना चाहता है। यूजर को option में एक Concerned Treasury Bank Branch होगी और इसके साथ All branches of SBOP, All branches of SBI जैसी अतिरिक्त option भी मिलेगी। इस प्रकार यूजर इस सिस्टम यदि treasury bank branch select करता है तो उसे उसी बैंक ब्रांच में पैसे जमा करवाने होंगे। यदि यूजर All branches of SBOP or All branches of SBI option select करता है तो वह SBOP / SBI जो भी स्लैक्ट किया हो उस बैंक की किसी भी ब्रांच में चालान जमा करवा सकता है।

Question: क्या यूजर एक ही चालान के द्वारा एक से ज्यादा schemes में government receipt जमा करवा सकता है **?**

Answer: E-GRAS यूजर एक ही चालान के द्वारा एक से ज्यादा schemes (max. 9 schemes) में government receipt जमा करवा सकता है बशर्ते उन सभी schemes का major head एक ही होना चाहिये।

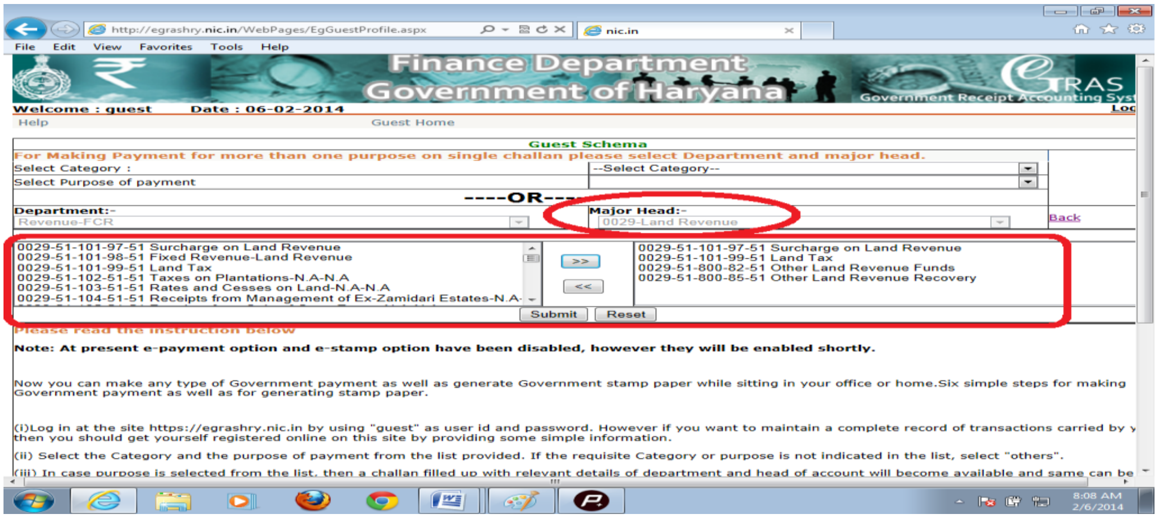

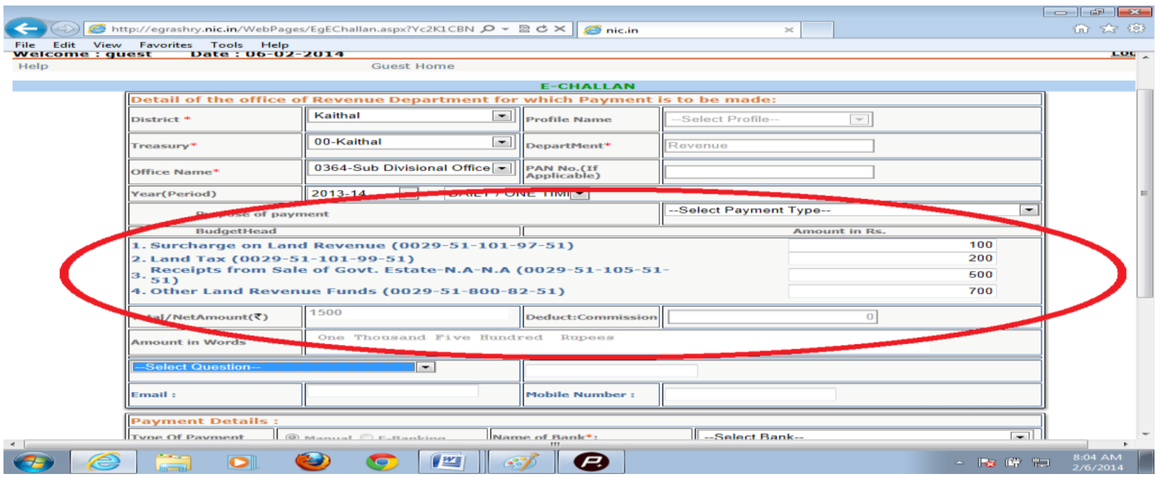

Question: Challan entry page पर जो particular column दिया हुआ है उसका यूजर किस प्रकार से प्रयोग कर सकता है **?**

Answer: E-GRAS में यूजर के लिये challan entry page पर एक particular column दिया गया है जिसमें अधिकतम 200 शब्द यूजर टाईप कर सकता है। इस कॉलम में यूजर चालान से सम्बन्धित कोई भी information टाईप कर सकता है। यह यूजर को preprinted electronic challan में show भी होगा।

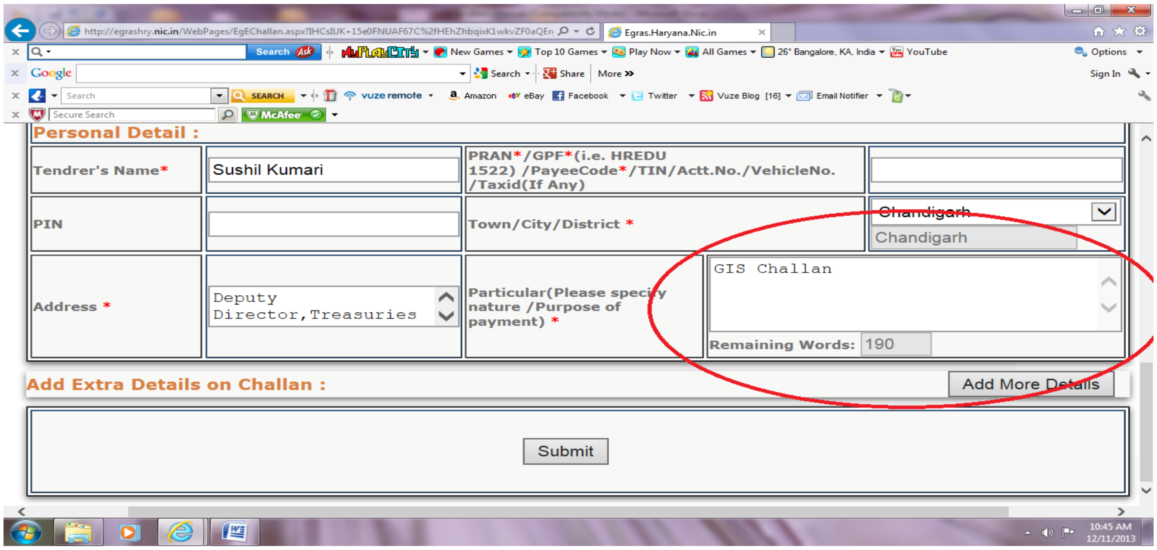

उदाहरण के लिये यदि कोई यूजर अपना GPF खाते में AG Haryana विभाग में राशि जमा करवाने के लिये चालान बना रहा है तो इसमें यह information दे सकता है कि वह चालान की total amount में कितनी राशि GPF Subscription में और कितनी राशि GPF Advance के रूप में जमा करवाना चाहता है, साथ ही समय, किश्त संख्या, sanction no इत्यादि बारे जानकारी भी यूजर इस कॉलम में दे सकता है।

Question: क्या यूजर चालान के साथ कोई extra detail / information add कर सकता है**?**

Answer: E-GRAS में यूजर अपने चालान के साथ extra detail / information add कर सकता है। इसके लिये यूजर को add more detail button पर क्लिक करेगा।

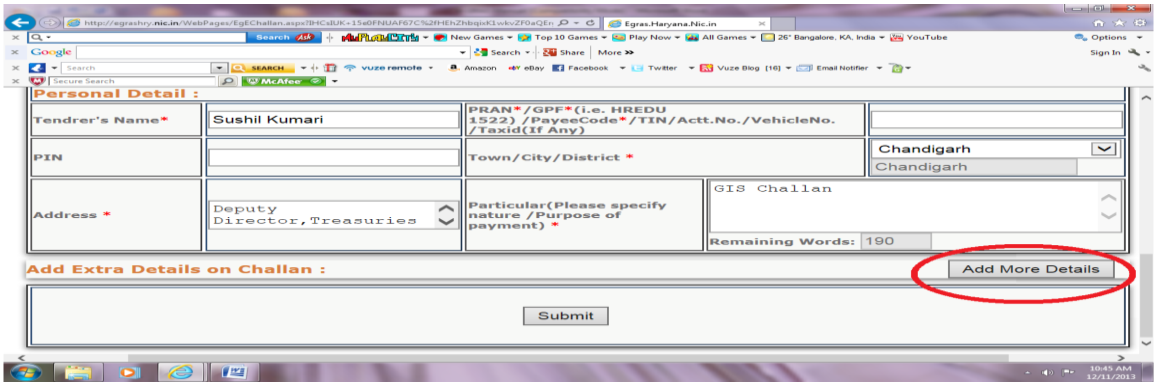

जिस पर क्लिक करने पर एक नया पेज open होगा जिस पर new add detail का button होगा। जिस पर क्लिक करने पर system यूजर से rows और column पूछेगा। जितनी rows & column यूजर enter करेगा उतने ही नीचे की ओर Table generate हो जायेगी। जिसमें यूजर information enter करके save कर सकता है। यह जानकारी उस चालान के साथ add हो जायेगी।

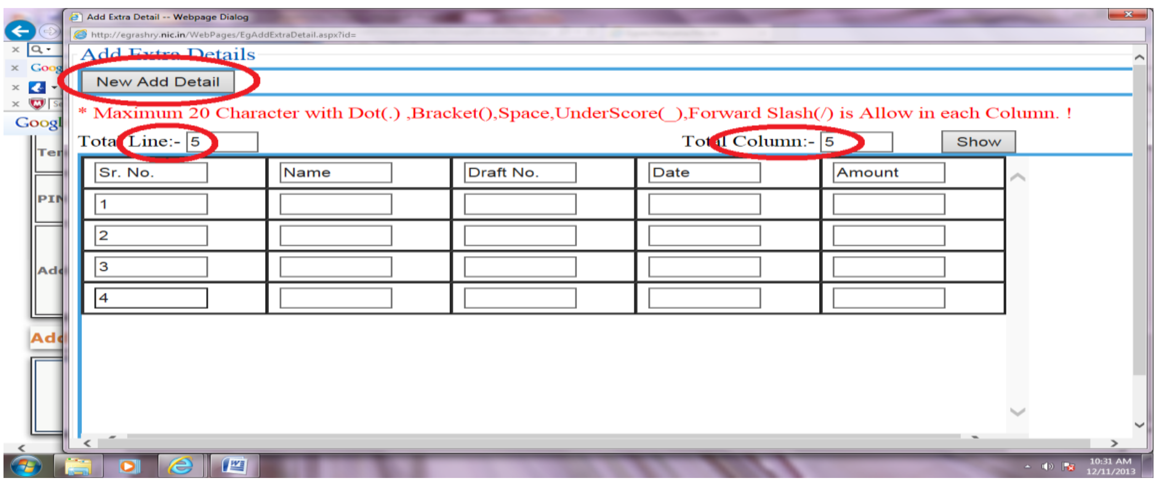

इसका प्रिन्ट आउट के लिये एक view extra detail नाम का button चालान print button के साथ मिलेगा। जिस पर क्लिक करके यूजर add extra detail की तीन प्रतियों का प्रिन्ट आउट चालान के साथ/पिछे प्रिन्ट ले सकता है।

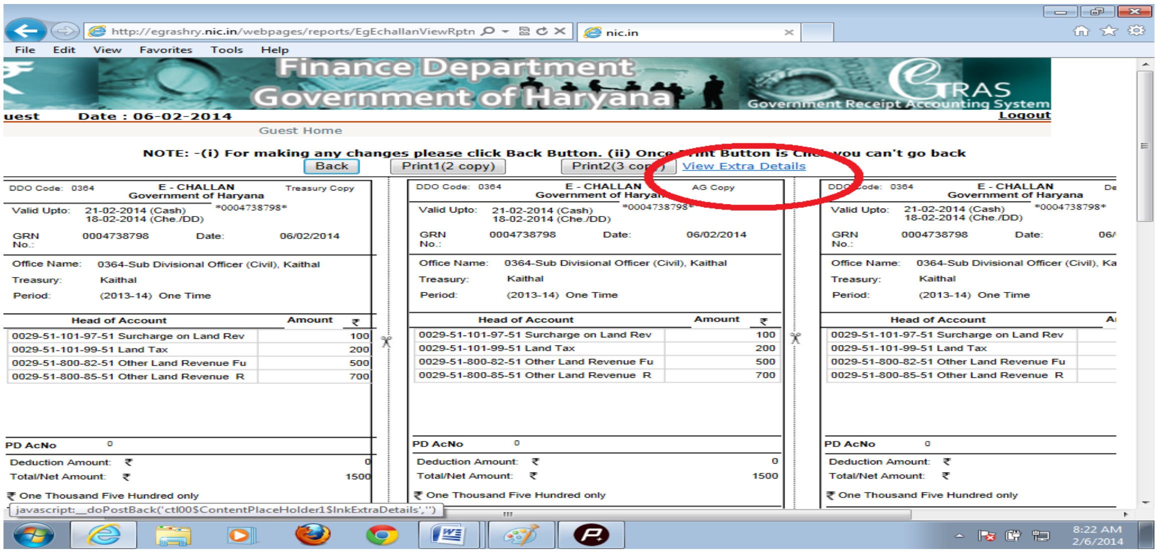

Question: यूजर द्वारा generate Pre Printed electronic challan की validity कितने दिनों तक होगी अथवा यूजर कब तक चालान को सम्बन्धित बैंक में जमा करवा सकता है **?**

Answer: E-GRAS में यूजर द्वारा generate Pre Printed electronic challan की validity, cash deposit के लिये 18 दिनों की होगी तथा CTS cheque / DD के लिये 12 दिन की होगी। Non CTS cheque जमाकर्ता को चालान generate करने के दो दिन के अन्दर जमा करवाना होगा अन्यथा बैंक उसे लेने से मना कर सकता है। जिस दिनांक तक यूजर ने चालान को सम्बन्धित बैंक में जमा करवाना है यह प्रिन्ट चालान के उपर लिखा हुआ होता है। चालान पर दर्शाई गई तिथि के बाद यदि कोई यूजर उसे बैंक में government receipt के साथ जमा करवायेगा तो सम्बन्धित बैंक वह accept नहीं करेगा।

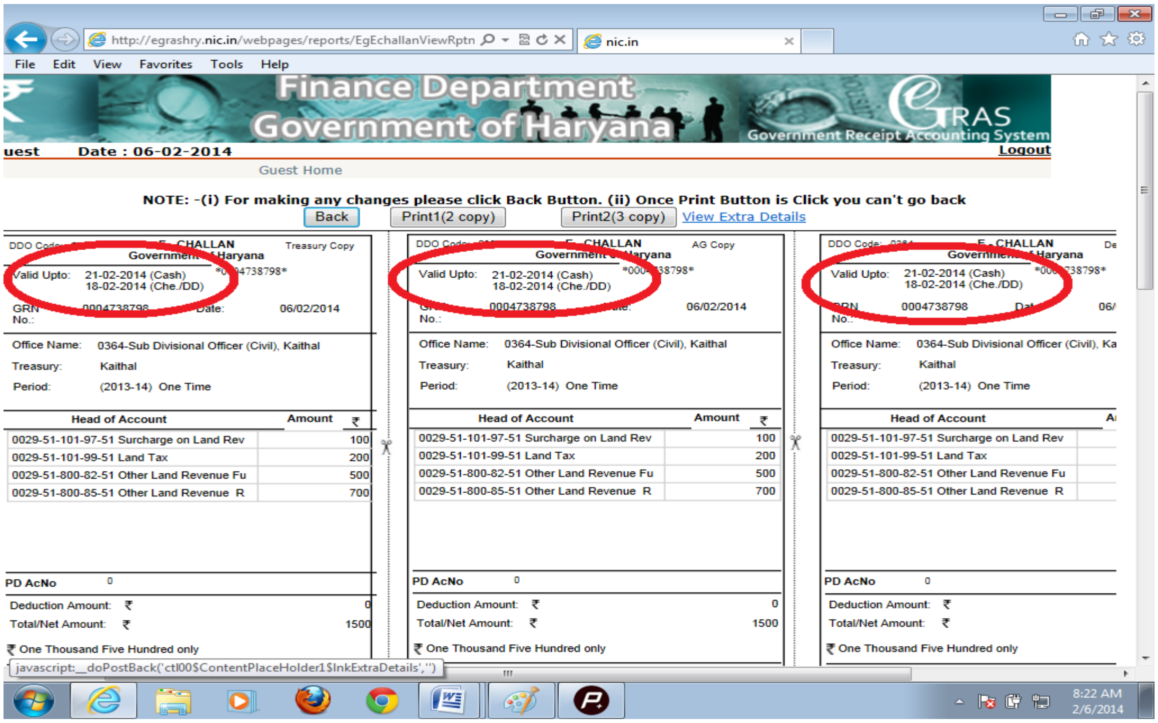

Question: यूजर द्वारा generate challan के उपर एक GRN नं0 अंकित होता है इससे क्या अभिप्राय है **?**

Answer: GRN से अभिप्राय है Government Receipt Number. यूजर द्वारा जो भी चालान generate किया जायेगा उन सभी पर एक GRN नं0 अंकित होगा। जोकि unique होगा तथा सभी चालान का अलग–अलग होगा। यूजर की government receipt भी इसी unique GRN के according होगी। यदि receipt जमा होने के बाद यूजर अपने चालान के बारे में कोई searching / information प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस unique GRN की आवश्यकता होगी।

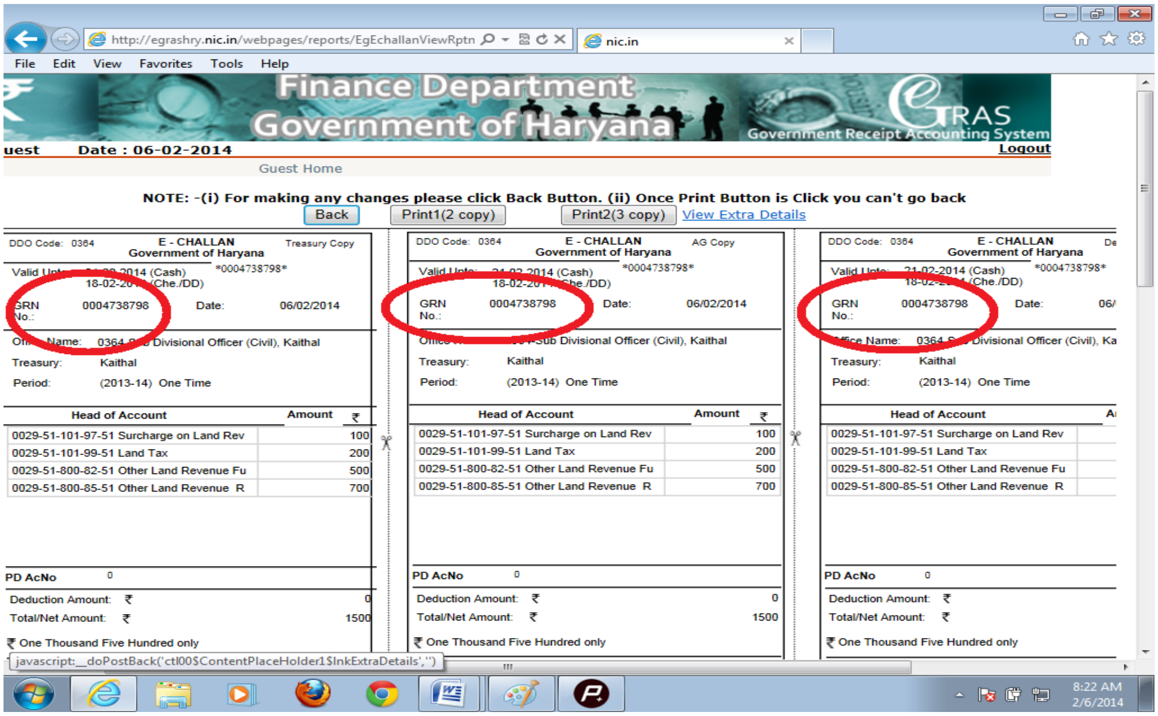

Question: यूजर यदि अपने generate challan का status देखना चाहता है तो वह कहां पर जाकर देख सकता है **?**

Answer: यह सुविधा यूजर को login page पर दी गई है। जिस पर क्लिक करके यूजर अपने चालान का GRN नं0 अंकित करेगा और get status button पर क्लिक करेगा तो यूजर को अपने चालान से सम्बन्धित जानकारी जैसे कि उसके चालान का status क्या है, चालान की deposit date क्या है, चालान को voucher no. क्या लगा है इत्यादि जानकारी यूजर प्राप्त कर सकता है। यहां पर यूजर को चालान का status तीन प्रकार से pending, success, account prepare के रूप में प्राप्त होगा।

1. Pending से अभिप्राय है कि अभी तक यूजर ने सम्बन्धित चालान के पैसे जमा नहीं करवाये है या फिर जिस बैंक ब्रांच में यूजर ने सम्बन्धित चालान के पैसे जमा करवाये है उस बैंक ब्रांच ने data upload नहीं किया है जोकि

बैंक को दिये गये निर्देशानुसार उसने अगले दिन की प्रातः 11 बजे तक data upload करना होता है।

2. Success से अभिप्राय है कि यूजर ने सम्बन्धित चालान के पैसे जिस बैंक ब्रांच में जमा करवाये है उस बैंक ब्रांच ने data upload कर दिया है। जिससे यूजर को उसके चालान का success status show होगा। इसके बाद यूजर को यदि कोई स्टैम्प पेपर खजाना कार्यालय से खरीदना है तो वह अपना सम्बन्धित चालान का success status होने के बाद ही खजाना कार्यालय में जाकर स्टैम्प पेपर खरीद सकता है अन्यथा खजाना कार्यालय उस यूजर को स्टैम्प पेपर issue नहीं करेगा।
3. Account prepare का अभिप्राय है कि सम्बन्धित चालान का cyber treasury chandigarh द्वारा उसका account prepare कर लिया गया है और AG Haryana को रिर्पोट भेज दी गई है।

Question: यदि यूजर किसी एक स्कीम का challan generate करता है और उसकी government receipt भी जमा करवा देता है। परन्तु कुछ समय बाद यूजर को यह ज्ञात होता है कि उसने किसी गल्त स्कीम में receipt जमा करवा दी है तो क्या वह उसे ठीक करवा सकता है या नहीं और किस प्रकार से **?**

Answer: ठीक करवा सकता है। यदि यूजर द्वारा किसी गल्त स्कीम में receipt जमा करवा दी है तो यूजर उसे 2 दिनों के अन्दर ठीक करवा सकता है। यूजर सबसे पहले अपने चालान का status check करेगा। फिर वह सम्बन्धित जिला खजाना अधिकारी / सहायक खजाना अधिकारी से सम्पर्क करेगा और स्कीम ठीक करवाने बारे लिखित में अनुरोध करेगा। फिर सम्बन्धित अधिकारी उसे अपने User ID & Password में जाकर उसे ठीक कर सकता है। यदि उस सम्बन्धित चालान का अकांउट Cyber Treasury Officer Chandigarh द्वारा AG Haryana को प्रस्तुत किया जा चुका है उस स्थिति में जिला खजाना अधिकारी / सहायक खजाना अधिकारी उस चालान की स्कीम ठीक नहीं कर पायेगा। इस लिये उस स्थिति में वह अधिकारी लिखित में Cyber Treasury Officer Chandigarh को चालान की स्कीम ठीक करवाने बारे अनुरोध करेगा।

Question: यदि यूजर द्वारा किसी प्रकार का non judicial stamp paper purchase करना है तो यूजर को किन बातों का ध्यान देना होगा **?**

Answer: Non Judicial Stamp Paper को दो प्रकार से बांटा गया है :—

(1) राशि रू0 10000/— तक की Non Judicial Stamp Paper.

(2) राशि रू0 10000/— से अधिक की Non Judicial Stamp Paper.

यूजर यदि राशि रू0 10000/— तक की Non Judicial Stamp Paper खरीदना चाहता है तो वह इसे stamp vendor से खरीद सकता है। जिसके लिये यूजर को कोई चालान बनाने की आवश्यकता नहीं है। वह सीधे ही stamp vendor से

स्टैम्प पेपर खरीद सकता है। इसके अतिरिक्त यदि यूजर को राशि रू0 10000/– से अधिक की Non Judicial Stamp Paper खरीदनी है तो यूजर के पास दो तरीके है :–

(1) खजाना कार्यालय से।

(2) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की authorized branch से।

यदि यूजर राशि रू0 10000/– से अधिक की non judicial stamp paper खरीदना चाहता है तो यूजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की authorized branch से खरीदेगा। जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की authorized branch नहीं है वहां पर यूजर राशि रू0 10000 से अधिक की स्टैम्प पेपर सम्बन्धित खजाना कार्यालय से भी खरीद सकता है जैसा कि नीचे बनी table में दिखाया गया है।

Sale of Non Judicial Stamps of denomination of above 10000/-

Sr. No.	Name of Treasury Office	Name of Sub Treasury Office	Through Treasury	Through SBI Bank	Through Stamp Vendor
1	Ambala City		No	Yes	No
		Ambala Cantt	No	Yes	No
		Barara	Yes	No	No
		Naraingarh	No	Yes	No
		Mullana	Yes	No	No
2	Bhiwani		No	Yes	No
		Dadri	Yes	No	No
		Badhra	Yes	No	No
		Loharu	Yes	No	No
		Bawani Khera	Yes	No	No
		Tosham	Yes	No	No

		Siwani	No	Yes	No
3	Chandigarh		No	No	No
4	Delhi		No	No	No
5	Faridabad		Yes	Yes	No
		Ballabhgarh	Yes	Yes	No
		Palwal	No	Yes	No
		Hodal	No	Yes	No
		Hatin	No	Yes	No
6	Fatehabad		No	Yes	No
		Tohana	No	Yes	No
		Ratia	No	Yes	No
		Bhuna	No	Yes	No
		Jakhal	No	Yes	No
		Bhattu	No	Yes	No
7	Gurgaon		Yes	Yes	No
		Farukh Nagar	No	Yes	No
		Sohna	Yes	No	No
		Pataudi	Yes	No	No
8	Hisar		No	Yes	No
		Hansi	No	Yes	No
		Barwala	No	Yes	No
		Adampur	Yes	No	No
		Narnaund	Yes	No	No
		Uklana	No	Yes	No
9	Jagadhri		No	Yes	No

		Radaur	Yes	No	No
		Chhchhaurli	Yes	No	No
		Bilaspur	Yes	No	No
		Sadhaura	Yes	No	No
10	Jind		Yes	No	No
		Narwana	No	Yes	No
		Julana	Yes	No	No
		Uchana	Yes	No	No
		Safidon	Yes	No	No
		Pilu Khera	Yes	No	No
		Alewa	No	Yes	No
11	Jhajjar		No	Yes	No
		Beri	Yes	No	No
		Matanhail	No	Yes	No
		Bahadurgarh	No	Yes	No
12	Kaithal		No	Yes	No
		Pundri	No	Yes	No
		Guhla	Yes	No	No
		Kalayat	Yes	No	No
		Dhand	Yes	No	No
		Rajound	Yes	No	No
13	Karnal		Yes	Yes	No
		Nookheri	No	Yes	No
		Indri	No	Yes	No
		Assandh	Yes	No	No

		Taraori	No	Yes	No
		Garounda	Yes	No	No
		Nissing	Yes	No	No
14	Kurukshetra		Yes	Yes	No
		Ismailabad	Yes	No	No
		Ladwa	No	Yes	No
		Shahabad	No	Yes	No
		Pehowa	No	Yes	No
15	Narnaul		Yes	No	No
		Mahendragarh	No	Yes	No
		Ateli	Yes	No	No
		Nangal Choudhary	Yes	No	No
		Kanina	Yes	No	No
16	Panipat		No	Yes	No
		Bapoli	No	Yes	No
		Samalkha	Yes	No	No
		Madluda	Yes	No	No
		Israna	Yes	No	No
17	Panchkula		Yes	Yes	No
		Kalka	No	Yes	No
		Barwala	No	Yes	No
		Raipur Rani	Yes	No	No
18	Rewari		No	Yes	No
		BAWAL	No	Yes	No
		KOSLI	Yes	No	No

19	Rohtak		Yes	Yes	No
		Kalanaur	Yes	No	No
		Meham	Yes	No	No
		Sampla	Yes	No	No
20	Sirsa		No	Yes	No
		Dabwali	No	Yes	No
		Kalanwali	No	Yes	No
		Rania	No	Yes	No
		Ellenabad	No	Yes	No
21	Sonipat		Yes	Yes	No
		Gohana	Yes	No	No
		Ganaur	Yes	No	No
		Kharkhoda	No	Yes	No
22	Nuh (Mewat)		No	Yes	No
		F.P. Jhirka	No	Yes	No
		Tauru	Yes	No	No
		Punhana	Yes	No	No

यदि यूजर को स्टैम्प पेपर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से खरीदने है तो यूजर के लिये जरूरी है कि वह चालान बनाते समय बैंक option में All Branches of SBI स्लैक्ट करें और उसी SBI Branch में चालान जमा करवाये जहां से stamp paper खरीदना है।

यदि यूजर को स्टैम्प पेपर खजाना कार्यालय से खरीदने है तो वह किसी भी बैंक का स्लैक्ट कर सकता है और पैसे जमा करवा सकता है। इसके बाद यूजर अपने सम्बन्धित चालान का verify / status चैक करेगा। यदि उसे उसके

चालान का status success या account prepare show हो तभी यूजर खजाना कार्यालय में स्टैम्प पेपर खरीदने के लिये उपस्थित होगा। यदि चालान का status pending show कर रहा है तो खजाना कार्यालय यूजर को स्टैम्प पेपर जारी नहीं करेगा।

इसके अतिरिक्त यदि यूजर को स्टैम्प पेपर किसी Stamp vendor से खरीदना है तो उसे E-GRAS से चालान बनाने की आवश्यकता नहीं है। वह सीधे ही stamp vendor से स्टैम्प पेपर खरीद सकता है।